

From -B

(See rule 9(3),(4)&(6))

पत्रिका - 8
1723
11/10/24

Office of prescribed Authority (State Government/District collector

S.D.O./ Tehsildar-ThanaGazi, Alwar, (Raj.)

No 53-57

Date - 22/2/2019

CONVERSION ORDER

On the application of SARVANGEEEN VIKAS SANSTHAN PRATAPGARH ROAD THANAGAZI by Shri B.L Sharma S/o Sh.Ramnivas Sharma VPO Jhodhawas Tehsil-Thanagazi. Agricultural land held by him in his. Khatedari tenancy is here by converted for a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan land revenue (conversion of agricultural land or non-agricultural in rural areas) rules 2007 the particulars of which are given as under:

1	Name of application Khatedari Tenancy With Father' S/husband name complete address	Sarvangeen vikas sansthan pratapgarh road thanagazi by Shri B.L Sharma S/o Sh.Ramnivas Sharma VPO Jhodhawas Tehsil-Thanagazi.
2	Whether the application is a member of ST/SC	No
3	Details of the land converted	Kh. No. 1436, 0.51 Heactare, 1723, 0.27 Heactare Total 0.78 Heactare
A	Name of the Village/Gram Panchyat/ Tehsil	Thanagazi, Tehsil Thanagazi
B	Khasra MP. Of the land alongwith area of each Khasara No. 9 (In heactare)	Kh. No. 1436, 0.51 Heactare, 1723, 0.27 Heactare Total 0.78 Heactare में से 0.76 Heactare
C	Area Converted (in heactare/Sq. mts) ind.	7800 sq mt. में से 7600 sq mt.
D	Locatiting the area of Khasra No.	Kh. No. 1436, 0.51 Heactare, 1723, 0.27 Heactare Total 0.78 Heactare

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Note A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for non-agricultural purpose in enclosed

4	Purpose of conversion	Education Purpose (Shikshan Sansthan)
5	Rate of Conversion	D.L.C. ka 10%
6	Amount of premium deposited with No. and date of challan.	35000, 08-12-2015, 0008654498 64900, 23-08-2018, 24792253 78556, 03-01-2019, 27311896 8000, 24-01-2019, 27764573
7	Amount of penalty deposited with no. and date of Challan	46563, 03-01-2019, 27311896
8	Amount of interest deposited with No. and date of Challan	No
9	Whether the order issued under rule 13 for regularization	No
10	Other particulars, if any	-
11	The Above conversion order shall be subject to the following condition :	
(i)	The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose, without obtaining primo permission of the prescribed authority	
(ii)	In the application fails to use the land for converted purpose with in a period of 2 years from the date of issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the application shall be forfeited.	
(iii)	No land is mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.	
(iv)	No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority	

No. 53-57

Date- 22/2/19

उपरवाट अधिकारी
थानगाजी (अलवर)

Copy To.

- 1- The district collector Alwar.
- 2- Tehsildar Thanagazi,
- 3- Gram Panchayat, Thanagazi.
- ✓ 4- The Applicant Sarvangeen vikas sansthan pratapgarh road thanagazi by Shri B.L Sharma S/o Sh.Ramnivas Sharma VPO Jhodhawas Tehsil- Thanagazi district- alwar (rajasthan)

कार्यालय तहसीलदार थानागाजी जिला-अलवर (राज०)

क्रमांक:- 6784

दिनांक:- 1-8-18

सर्वांगीण विकास संस्था थानागाजी (अलवर) की जमीन (भूमि) के खसरा मिलान क्षेत्र :-

सम्पन्न 2061

क्र.सं.	वर्तमान खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	पूर्व खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
1	1723	0.27 हैक्टे.	1582	1)1 बीघा
2	1436	0.51 हैक्टे.	1331	2 बीघा

संलग्न:- विभागीय रिपोर्ट

तहसीलदार
थानागाजी (अलवर)
तहसीलदार (राज. अ.)
थानागाजी (अलवर)



{दस्तावेज पट्टा रजिस्ट्रेशन}

मैं कि सर्वांगीण विकास संस्था थानागाजी जरिये सचिव सुनीता शर्मा
निवासी भूखण्ड सं. (76,84,85), श्याम वाटिका, वार्ड नम्बर 11, नगरपालिका
थानागाजी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान की हूँ।

जो कि संस्था की एक किता भूखण्ड सम्पत्ति शैक्षणिक प्रयोजनार्थ तरफ पूर्व व पश्चिम सदर निकास की वाकै श्याम वाटिका, वार्ड नम्बर 11, नगरपालिका थानागाजी, तहसील थानागाजी में संस्था की निजी मिलकियत मालकाना स्वामित्व, कब्जे, अधिकार शुदा की चली आती है। यह शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड सम्पत्ति मुताबिक मौका नगरपालिका थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान में कस्बा आबादी के नजदीक चली आती है, जो शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत भूखण्ड सम्पत्ति है। उक्त शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत जायदाद सम्पत्ति सालिम पर संस्था तन्हा रूप मालिक उपभोक्ता चली आती हूँ। उक्त शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्पत्ति में अन्य किसी का कोई उजर हिस्सा नही है तथा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्पत्ति अब से पूर्व अन्यत्र कही भी रहन बय मुन्तकिल शुदा नही है तथा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्पत्ति का कोई कर किराया बकाया नही है। उपरोक्त शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड सम्पत्ति की सीमा व नपत निम्न प्रकार है—

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



नपत :-

- ❖ पूर्व को - मुताबिक ब्लू प्रिंट में अंकित नाम
- ❖ पश्चिम को - मुताबिक ब्लू प्रिंट में अंकित नाम
- ❖ उत्तर को - मुताबिक ब्लू प्रिंट में अंकित नाम
- ❖ दक्षिण को - मुताबिक ब्लू प्रिंट में अंकित नाम
- ❖ कुल क्षेत्रफल - 373.55 वर्ग गज या 364.89 वर्ग मीटर।

नोट - उक्त नपत नगरपालिका थानागाजी द्वारा जारी प्रमाणित शुदा ब्ल्यू प्रिन्ट व नक्शे के अनुसार दर्शायी गयी है।




सीमा :-

- ❖ पूर्व को आम रास्ता 30 फुट।
- ❖ पश्चिम को आम रास्ता 30 फुट।
- ❖ उत्तर को जानकी देवी स्कूल कृषि भूमि।
- ❖ दक्षिण को प्लॉट सं. 77, 83।

उपरोक्त शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत सम्पति पर संस्था उक्त सीमा नपत मुताबिक काबिज है। सम्पति हर प्रकार के भार से पाक साफ है तथा यह सम्पति किसी भी तरह से तनाजा तलब की नहीं है। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्पति संस्था की निजी मालकाना स्वामित्व की चली आती है। संस्था के उक्त कब्जे के आधार पर संस्था के नाम शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत सम्पति का पट्टा नगरपालिका थानागाजी द्वारा पट्टा संख्या 58 दिनांक 18/07/2023, पत्रावली संख्या 26/2022-23 से संस्था के हक में जारी किया गया है। उक्त पट्टे की लीज राशि जरिये रसीद संख्या 45/65 दिनांक 19/06/2023 के द्वारा पालिका कोष में जमा करा दी गई है। यह पट्टा संस्था को मालकाना हक कब्जे से प्राप्त हुआ है। संस्था का यह पट्टा संख्या 58 अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष नगरपालिका थानागाजी द्वारा प्रदत्त किया गया है। संस्था अपने उक्त पट्टा संख्या 58 को रजिस्टर्ड करवाना चाहती हैं। जिसका संस्था का पूरा-पूरा हक व अधिकार है। नगरपालिका थानागाजी भी उक्त पट्टे को रजिस्टर्ड

(Handwritten signature)







Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री SARVANGIN VIKAS SANSTHA JARIYA SECRETARY SUNITA SHARMA, पुत्र/पुत्री/पति श्री RAMAN SHARMA, व्यवसाय Business जाति 0-HARIYANA BIRAMAN House No.:00, Colony: THANAGAZI, Area: THANAGAZI, City: THANAGAZI, Pin code: 301022, District: ALWAR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 41 Signature : 

ने लेख्यपत्र (i) Where the plots held by single lessee under different leases and the new lease of reconstituted plot is issued in the name of original holder को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 37400/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 37400/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR SHARMA, पुत्र/पुत्री/पति श्री SHIMBHU DAYAL SHARMA जाति BIRAMAN Age: 47 Add: House No.:00, Colony: BASAI JOGAYAN, Area: BASAI JOGAYAN, City: THANAGAZI, Pin code: 301024, District: ALWAR, State: RAJASTHAN			Signature 
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री DEEPAK JANGID, पुत्र/पुत्री/पति श्री MOHAN LAL जाति JANGID BIRAMAN Age: 29 Add: House No.:00, Colony: THANAGAZI, Area: THANAGAZI, City: 301022, Pin code: 301022, District: ALWAR, State: RAJASTHAN			Signature 

202301211002088

उप पंजीयक, THANAGAZI

(i) Where the plots held by single lessee under different leases and the new lease of reconstituted plot is issued in the name of original holder

उप पंजीयक
थानागाजी (अलवर)



करवाने की बाबत पूर्णतया: सहमत है। जिसकी बाबत नगरपालिका थानागाजी द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र पट्टा पंजीयन करवाने बाबत जारी किया गया है। इस शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत सम्पत्ति का कोई कर, किराया, प्रभार बकाया नहीं है। संस्था को अपने उक्त पट्टे को रजिस्टर्ड कराने का पूरा-पूरा हक व अधिकार है। असल पट्टा मय नजरी नक्शा ब्लू प्रिन्ट सम्पत्ति संलग्न पट्टा रजिस्ट्रेशन है। खर्चा पट्टा रजिस्ट्रेशन संस्था पर है। उक्त पट्टे में दर्ज सीमा नपत नगरपालिका थानागाजी के द्वारा जारी शुद्ध पट्टा व ब्लू प्रिन्ट के अनुसार दर्ज की गयी है। उक्त सम्पत्ति खसरा नम्बर 1439, थानागाजी में स्थित चली आती है। संस्था की तरफ से संस्था सचिव सुनीता शर्मा पट्टे को रजिस्टर्ड करवा रही है।

अतः यह दस्तावेज पट्टा रजिस्ट्रेशन संस्था अपनी रजामंदी, स्वेच्छा से सुन समझकर बिना किसी नशे पते के, बिना किसी दबाव बहकावट के ई-स्टाम्प नम्बर IN-RJ.....02171752200567..... v पर तहरीर तकमील कर दिया है। सनद रहे। दिनांक 19/07/2023

हस्ताक्षर पट्टा डीड कर्ता



साक्षी 01

राकेश कुमार शर्मा पुत्र शिम्भू दयाल शर्मा कौम ब्राहमण
निवासी बसई जोगियान, तहसील थानागाजी
जिला अलवर राजस्थान। (आ.नं. 966617352469)

साक्षी 02

दीपक जाँगिड पुत्र मोहन लाल कौम बागडा जाँगिड
निवासी प्रतापगढ रोड थानागाजी, तहसील थानागाजी
जिला अलवर राजस्थान। (आ.नं. 593782461212)





जरी-7
7283
11/10/24



कार्यालय नगर पालिका मण्डल, थानागाजी (अलवर)

पट्टा-विलेख

शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (फी-होल्ड) पत्रावली सं० 26
2022-23

क्रमांक / 58
18-7-23

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञान और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

पट्टा धारक का नाम – सर्वांगीण विकास संस्था थानागाजी जरिये सचिव सुनिता शर्मा
भूखण्ड सं०- 76,84,85 निवासी- श्याम वाटिका वार्ड नं.- 11, थानागाजी,
तह. – थानागाजी (अलवर) राजस्थान, भूखण्ड का क्षेत्रफल –373.55 वर्ग गज राजस्व
ग्राम – थानागाजी, खसरा सं. 1439 थानागाजी में स्थित है। स्थानीय निकाय (पट्टा
कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 18-7-23 को निम्न
शर्तों के अध्याधीन निस्पादित किया जाता है।

नोट:- एक मुस्त दस वर्षीय लीज राशि 37400/- (सैतीस हजार चार सौ रुपये) जरिये रसीद संख्या 45/65

दिनांक 19/06/2023 के द्वारा पालिका कोष में जमा किये गये ।

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया जा रहा है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेख उपयोग अनुज्ञेय होगा, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय / हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम / ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मापदण्डों के तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वकृति के भूखण्ड का उपविभाजन / पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने कि दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है जो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना के आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिसकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता है।
11. अन्य

अधिशायी
पट्टा धारक के हस्ताक्षर

अध्यापक
नगरपालिका, थानागाजी (अलवर)

अधिशायी अधिकारी
अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका थानागाजी



आवासीय प्रयोजनार्थ (फ्री-होल्ड) लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. पट्टा धारक नें निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा कर दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज सें मुक्त है। पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि प्रति वर्ष आवश्यक रूप सें जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष कें पश्चात और भूखण्ड कें प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. अन्य

आवेदित भूमि की माप (साइट प्लान संलग्न है)

पूर्व - फुट, पश्चिम - फुट,
उत्तर - फुट, दक्षिण - फुट,
संलग्न नक्शा अनुसार

भूखण्ड के पडोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व - आम रास्ता 30 फुट पश्चिम - आम रास्ता 30 फुट
उत्तर - जानकी स्कूल कृषि भूमि दक्षिण - प्लॉट सं० 77,83

नोट: यह लीज डीड विक्रय पत्र से जारी किया गया है।

साक्षी :-

- (1) नाम- जगदीश प्रसाद सैनी (बागवान)
पुत्र श्री गंगाराम सैनी,
व्यवसाय - राजकोष सेवा
निवास स्थान-शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

- (1) नाम - सर्वांगीण विकास संस्था थानागाजी
जरिये सचिव सुनीता शर्मा
निवासी - जोधावास, थानागाजी

साक्षी :-

- (2) नाम - रमेश चंद
पुत्र श्री - भैरव चंद
निवासी - जोधावास

अधिसाक्षी अधिकारी
थानागाजी नगर पालिका, थानागाजी

अध्यक्ष
थानागाजी नगर पालिका, थानागाजी (अलवर)

नक्शा मौका भूखण्ड रंग सुर्ख वाके वार्ड नं.-11, जानकी देवी महाविद्यालय के पास,
 न वटिका, किरों की ढाणी, प्रतापगढ रोड, थानागाजी व नगरपालिका थानागाजी, जिला-
 अलवर


प्रार्थी - सवांगीण विकास संस्था थानागाजी, जरिये सचिव सुनिता देवी यत्नि श्री रमन शर्मा
 निवासी - जोधावास, तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
 वास्ते - पट्टा लेने हेतु

कुल क्षेत्रफल ~~436.25~~ वर्गगज यानि 364.89 वर्गमीटर

373.55 वर्गगज का स 59 फी 26
 18/7/23 2022-23
 गिणपत शो ABCD E F का सलकन गवाण्डा
 = 373.55 वर्गगज कावासीप एड



चपेटवा जानकी देवी महाविद्यालय भवन
 खसरा नम्बर 1436



चपेटवा भूखण्ड नम्बर 77

अध्यक्ष

नगरपालिका, थानागाजी (अलवर)

Bhadar

चपेटवा भूखण्ड नम्बर 83

कनिष्ठ अभियंता
 नगरपालिका, थानागाजी

अनूप कुमार

अनूप कुमार नक्शा नवांस (तकनीकी विज्ञ)

नगर परिषद से मान्यता प्राप्त

मान्यता प्राप्त रजि० 196-98 साह 21/07/22

Mob.-8890212601

अधिसापी अधिकारी
 नगरपालिका थानागाजी

सर्वांगीण विकास संस्था, ग्राम खोहरी, ढाणी स्वामी वाला की
 थानागाजी (अलवर) राज० तह० बानसूर, जिला-अलवर (राज०)

ह० प्रार्थी

प्रार्थी के कहे अनुसार बनाया

अनूप कुमार





{दिस्तावेज पट्टा रजिस्ट्रेशन}

मैं कि सर्वांगीण विकास संस्था थानागाजी जरिये सचिव सुनीता शर्मा
निवासी भूखण्ड सं. 75, श्याम वाटिका, वार्ड नम्बर 11, नगरपालिका थानागाजी
तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान की हूँ।

जो कि संस्था की एक किता भूखण्ड सम्पति शैक्षणिक प्रयोजनार्थ तरफ पूर्व व पश्चिम सदर निकास की वाकै श्याम वाटिका, वार्ड नम्बर 11, नगरपालिका थानागाजी, तहसील थानागाजी में संस्था की निजी मिलकियत मालकाना स्वामित्व, कब्जे, अधिकार शुदा की चली आती है। यह शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड सम्पति मुताबिक मौका नगरपालिका थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान में कस्बा आबादी के नजदीक चली आती है, जो शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत भूखण्ड सम्पति है। उक्त शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत जायदाद सम्पति सालिम पर संस्था तन्हा रूप मालिक उपभोक्ता चली आती हूँ। उक्त शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्पति में अन्य किसी का कोई उजर हिस्सा नही है तथा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्पति अब से पूर्व अन्यत्र कही भी रहन बय मुन्तकिल शुदा नही है तथा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्पति का कोई कर किराया बकाया नही है। उपरोक्त शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड सम्पति की सीमा व नपत निम्न प्रकार है—

सुनीता शर्मा

५



Presentation Endorsement

आज दिनांक 21 माह 07 सन् 2023 को 11:28 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SARVANGIN VIKAS SANSTHA JARIYA SECRETARY
SUNITA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMAN SHARMA
उम्र 41 वर्ष, जाति 0-HARIYANA BIRAMAN, व्यवसाय Business
निवासी House No.: WARD NO 11, Colony: THANAGAZI, Area:
SHAYAM VATIKA THANAGAZI, City: THANAGAZI, Pin code:
301022, District: ALWAR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202301211002087

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
THANAGAZI (अलवर)

(i) Where the plots held by single lessee under different leases and the new lease of reconstituted plot is issued in the name of original holder

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302211002094
दिनांक	21-07-2023
पंजीयन शुल्क ₹	300
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	150
कुल योग	1250

202301211002087

उप पंजीयक,
THANAGAZI

(i) Where the plots held by single lessee under different leases and the new lease of reconstituted plot is issued in the name of original holder

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ02172078943396V ₹ 650
e-Registration Receipt
RJ0924932014753 ₹ 600



नपत :-

- ❖ पूर्व को - 33.3 फुट 1
- ❖ पश्चिम को - 35.5 फुट 2
- ❖ उत्तर को - 40 फुट 3
- ❖ दक्षिण को - 40 फुट 4
- ❖ कुल क्षेत्रफल - 152.66 वर्ग गज
- ❖ नोट - उक्त नपत नगरपालिका थानागाजी द्वारा जारी प्रमाणित शुदा ब्ल्यू प्रिन्ट व नक्शे के अनुसार दर्शायी गयी है।

सीमा :-

- ❖ पूर्व को आम रास्ता 30 फुट।
- ❖ पश्चिम को प्लॉट सं. 66।
- ❖ उत्तर को जानकी देवी स्कूल।
- ❖ दक्षिण को प्लॉट सं. 74।

उपरोक्त शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत सम्पति पर संस्था उक्त सीमा नपत मुताबिक काबिज है। सम्पति हर प्रकार के भार से पाक साफ है तथा यह सम्पति किसी भी तरह से तनाजा तलब की नहीं है। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्पति संस्था की निजी मालकाना स्वामित्व की चली आती है। संस्था के उक्त कब्जे के आधार पर संस्था के नाम शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत सम्पति का पट्टा नगरपालिका थानागाजी द्वारा पट्टा संख्या 59 दिनांक 18/07/2023, पत्रावली संख्या 27/2022-23 से संस्था के हक में जारी किया गया है। उक्त पट्टे की लीज राशि जरिये रसीद संख्या 45/66 दिनांक 19/06/2023 के द्वारा पालिका कोष में जमा करा दी गई है। यह पट्टा संस्था को मालकाना हक कब्जे से प्राप्त हुआ है। संस्था का यह पट्टा संख्या 59 अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष नगरपालिका थानागाजी द्वारा प्रदत्त किया गया है। संस्था

अपने उक्त पट्टा संख्या 59 को रजिस्टर्ड करवाना चाहती हूँ। जिसका संस्था को पूरा-पूरा हक व अधिकार है। नगरपालिका थानागाजी भी उक्त पट्टे को रजिस्टर्ड करवाने की बाबत पूर्णतया: सहमत है। जिसकी बाबत नगरपालिका थानागाजी द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र पट्टा पंजीयन करवाने बाबत जारी किया गया है। इस शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत सम्पति का कोई कर, किराया, प्रभार बकाया नहीं है। संस्था का अपने उक्त पट्टे को रजिस्टर्ड कराने का पूरा-पूरा हक व अधिकार है। असल पट्टा मय नजरी नक्शा ब्ल्यू प्रिन्ट सम्पति संलग्न पट्टा रजिस्ट्रेशन है। खर्चा पट्टा रजिस्ट्रेशन संस्था पर है। उक्त पट्टे में दर्ज सीमा नपत नगरपालिका थानागाजी के द्वारा जारी शुदा पट्टा व ब्ल्यू प्रिन्ट के अनुसार दर्ज की गयी है। उक्त सम्पति खसरा नम्बर 1439, थानागाजी में स्थित चली आती है। संस्था की तरफ से संस्था सचिव सुनीता शर्मा पट्टे को रजिस्टर्ड करवा रही है।

अतः यह दस्तावेज पट्टा रजिस्ट्रेशन संस्था अपनी रजामंदी, स्वेच्छा से सुन समझकर, बिना किसी नशे पते के, बिना किसी दबाव बहकावट के ई-स्टाम्प नम्बर IN-

RJ 02172078943396 v पर तहरीर

तकमील कर दिया है। सनद रहे। दिनांक 19/07/2023

हस्ताक्षर पट्टा डीड कर्ता

साक्षी 01

राकेश कुमार शर्मा पुत्र शिम्भू दयाल शर्मा कौम ब्राहमण
निवासी बसई जोगियान, तहसील थानागाजी
जिला अलवर राजस्थान। (आ.नं. 966617352469)



साक्षी 02

दीपक जाँगिड पुत्र मोहन लाल कौम बागडा जाँगिड
निवासी प्रतापगढ रोड थानागाजी, तहसील थानागाजी
जिला अलवर राजस्थान। (आ.नं. 593782461212)





कार्यालय नगर पालिका मण्डल, थानागाजी (अलवर)
पट्टा-विलेख

क्रमांक / 59
18/7/23

शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (फ्री-होल्ड) पत्रावली सं० 27
2022-23

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञान और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

पट्टा धारक का नाम – सर्वांगीण विकास संस्था थानागाजी जरिये सचिव सुनिता शर्मा
भूखण्ड सं०- 75 निवासी- श्याम वाटिका वार्ड नं.- 11, थानागाजी,
तह. – थानागाजी (अलवर) राजस्थान, भूखण्ड का क्षेत्रफल –152.66 वर्ग गज राजस्व
ग्राम – थानागाजी, खसरा सं. 1439 थानागाजी में स्थित है। स्थानीय निकाय (पट्टा
कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 18-7-23 को निम्न
शर्तों के अध्याधीन निस्पादित किया जाता है।

नोट:- एक मुस्त दस वर्षीय लीज राशि 7650/- (सात हजार छः सौ पचास रुपये) जरिये रसीद संख्या 45/66
दिनांक 19/06/2023 के द्वारा पालिका कोष में जमा किये गये ।

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया जा रहा है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेख उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय / हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम / ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मापदण्डों के तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वकृति के भूखण्ड का उपविभाजन / पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने कि दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है जो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना के आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिसकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता है।
11. अन्य

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

अध्यक्ष

नगरपालिका, थानागाजी (अलवर)

अधिसाची अधिकारी
नगरपालिका थानागाजी



आवासीय प्रयोजनार्थ (फ्री-होल्ड)
लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

- पट्टा धारक नें निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा कर दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुश्त पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
अथवा
- अन्य

आवेदित भूमि की माप (साइट प्लान संलग्न है)

पूर्व - 33.3 फुट, पश्चिम - 35.5 फुट,
उत्तर - 40 फुट, दक्षिण - 40 फुट,

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व - आम रास्ता 30 फुट पश्चिम - प्लाट सं० 66
उत्तर - जानकि देवी स्कूल दक्षिण - प्लाट सं० 74

नोट :- यह लीज डीड विक्रय पत्र से जारी किया गया है।

साक्षी :-

- नाम- जगदीश प्रसाद सैनी (बागवान)
पुत्र श्री गंगाराम सैनी,
व्यवसाय - राजकोष सेवा
निवास स्थान-शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

- नाम - सर्वांगीण विकास संस्था थानागाजी
जरिये सचिव सुनीता शर्मा
निवासी - जोधावास, थानागाजी

साक्षी :-


- नाम - रमन शर्मा
पुत्र श्री - औरंगज़ां शर्मा
निवासी - जोधावास

अधिशायी अधिकारी
अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका, थानागाजी

अध्यक्ष
अध्यक्ष
नगरपालिका, थानागाजी (अलव)
नगर पालिका, थानागाजी

कक्षा मौका भूखण्ड रंग सुख्ख वाके वार्ड नं.-11, जानकी देवी महाविधालय के
 श्याम वाटिका, प्रतापगढ रोड, कीरों की ढाणी, थानागाजी व नगरपालिका
 थानागाजी जिला-अलवर राजस्थान
 प्रार्थी - सर्वांगीण विकास संस्था, थानागाजी अलवर जरिये सचिव श्रीमती सुनिता शर्मा
 पत्नि श्री रमन शर्मा जाति हरियाणा ब्रह्मण्य
 निवासी - जोधावास, तहसील थानागाजी जिला- अलवर राजस्थान
 वास्ते - पट्टा लेने हेतु
 कुल क्षेत्रफल - ~~472.00~~ वर्गगज या 143.86 वर्गमीटर

152.61



Bhasas

23/07/22

भूखण्ड संख्या 74 आसार हक चपेटवा

अनुप कुमार
 अनुप कुमार नक्शा नवास (तकनीकी विज्ञ)
 नगर परिषद से मान्यता प्राप्त
 मान्यता प्राप्त रजि० 196-98, माह 19/07/22
 Mob-8890212601
 ग्राम खाहरी, ढाणी स्वामी बाला की
 तह० बानसूर, जिला-अलवर (राज०)

अधिकांश अधिकारी
 नगरपालिका थानागाजी (अलवर)
 नगरपालिका थानागाजी
 सर्वांगीण विकास संस्था
 थानागाजी (अलवर) राज०

प्रार्थी

प्रार्थी के कहे अनुसार बनाया

01-Jul-2023 08:57

ASTHA